

**कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव विभाग, हरदोई।**

पत्रांक  
सेवा में,

२०११

/ 14-10-4

दिनांक, हरदोई, २६-११. २०२१

प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,  
उन्नाव।

**विषय:-** वन संरक्षण अधिनियम १९८० की धारा-२ के अन्तर्गत उ०प्र० एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल अथारिटी (यूपीडा), लखनऊ द्वारा प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण से प्रभावित ६.२८७३ हे० वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य व १३८ बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु प्राप्त प्रस्ताव का प्रेषण।

महोदय,

निवेदन है कि जनपद हरदोई के अन्तर्गत उ०प्र० एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल अथारिटी (यूपीडा), लखनऊ द्वारा प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण से प्रभावित ६.२८७३ हे० वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य व १३८ बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु प्राप्त प्रस्ताव को संलग्नक सहित (४ प्रतियों में) आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।  
संलग्नक—यथोपरि।

**भवदीय**

(रविशंकर शुक्ल)

प्रभागीय निदेशक

सा० वा० वन एवं वन्य जीव प्रभाग,  
हरदोई।

पत्रांक २०११ / उक्त दिनांकित।

**प्रतिलिपि:-** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १- मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, उ०प्र० लखनऊ।
- २- जिलाधिकारी, हरदोई।
- ३- डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी, उ०प्र० एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल अथारिटी (यूपीडा), लखनऊ।

(रविशंकर शुक्ल)

प्रभागीय निदेशक

सा० वा० वन एवं वन्य जीव प्रभाग,  
हरदोई।